न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

नि0-488-PBR/16

1— ईशाक पिता गुल मोहम्मद जाति नायता

2— दिलावर पिता गुल मोहम्मद जाति नायता

3— सत्तार पिता गुल मोहम्मद जाति नायता

सभी निवासी ग्राम नागोरा तह0 बदनावर जिला धार म0प्र0

.........................निगरानीकर्ता

बनाम

1— उस्मान पिता अकबर जाति नायता

2— मकसुद पिता अकबर जाति नायता

3— सिकंदर पिता मकसुद जाति नायता

4— शौकत पिता मकसुद जाति नायता

सभी निवासी ग्राम नागोरा तह0 बदनावर जिला धार म0प्र0

.........................विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से निवेदन है कि ग्राम नागौरा तहसील बदनावर जिला धार का विवाद होकर तत्संबंध में इसी विवाद को लेकर मूल प्रकरण के प्रार्थीगण से रिलेटेड पूर्व में इन्ही वर्तमान निगरानी के विपक्षीगण व मूल प्रकरण के प्रार्थीगण व उसमें हुई कार्यवाही में ये लोग उस्मान, मकसूद, सिकंदर, शौकत मदद कर रहे है इस संबंध में एक प्रकरण माननीय न्यायालय में विचार है जबकि हमारी ओर से यह स्पष्ट अभिवचन है कि मूल प्रकरण के प्रार्थी को दक्षिण पूर्व पश्चिम में सरकारी कांकड से आवागमन रहा है हमारी निजी हंकत पियत की जमीन में मांग यथेष्ठ व वाजिब नही है यह सारी बाते हमने माननीय राजस्व मंडल में रखी है माननीय राजस्व मंडल में पेश हुई है। माननीय न्यायालय ने स्थगन जारी किया है माननीय न्यायालय में चल रही निगरानी 39/14/पीबीआर/15 में दिनांक 09.12.15 को अभिलेख बुलवाया है व स्थगन तीन माह के लिए जारी किया है व पेशी 10.03.2016 है ऐसी दशा में वे

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय राजस्व मंडल के निकाल तक स्थगित बाबद भी निवेदन किया है व तत्संबंध में अर्जं भी दी है जिस संबंध में तहसीलदार महोदय बदनावर ने अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 0/2015–16/अ–13 में आज्ञा दिनांक 12.01.2016 द्वारा मेरा आवेदन पत्र व दिनांक 14.01.2016 अमान्य कर दिया एक ही बैठक में अमान्य कर दिये। प्रकरण में दिनांक 12.01.2016 पेशी नियत थी उसी रोज आइंदा पेशी नियत न करते हुए दिनांक 14.01.2016 को पुनः मेरा आवेदन पत्र चाही सहायता का स्थगन का माननीय राजस्व मंडल की आज्ञा के प्रकाश में था व एक ही प्रकरण से रिलेटेड होने से रोकने का नामंजुर कर दिया उक्त आज्ञा से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अर्जं निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 488—पीबीआर / 16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8—12—2016	यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 14—1—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाकर दिनांक 1—2—2016 को अंतरिम आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 573—पीबीआर / 16 प्रस्तुत कर दी गई है । अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	